संख्या: 16 /2017/ **746** /सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2017

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रो के सुदृढीकरण योजना की आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (अप्रैल,2017 से अगस्त, 2017तक अर्थात 5/12 भाग) हेतु रू0 1557497 /- की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या'-272 /नि0शा0 दिनांक 12 मई,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रो के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (5/12 भाग) हेतु कुल धनराशि रू0 15,57,497 /- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण के अन्तर्गत मानक मदों क्रमश:'- 02 –मजदूरी में धनराशि रू0 1.69 लाख 09- विद्युत देय में रू0 5.05 लाख, 39-औषधि तथा रसायन में रू0 1.69 लाख, 42- अन्य व्यय में रू0 3.37 लाख तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 25.58 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 37.38 लाख के अन्तरिम बजट का प्राविधान किया गया है।

3- अत: संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रो के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित अन्तरिम बजट की धनराशि रू0 37.38 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (अप्रैल,2017 से अगस्त, 2017तक अर्थात 5/12 भाग) हेतु मानक मदों क्रमश:- 02 –मजदूरी में धनराशि रू0 70,416 , 09- विद्युत देय में रू0 2,10,416, 39-औषधि तथा रसायन में रू0 70,416, 42- अन्य व्यय में रू0 140416, एवं 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 10,65,833 अर्थात कुल रू0 1557497 /- लाख (रू0 पन्द्रह लाख सत्तावन हजार चार सौ सत्तान्बे मात्र) की धनराशि 37 जनपदों के लिए संलग्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

(2) निर्माण कार्य के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान) आदि के निर्माण हेतु वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ सपठित शासनदेश संख्या- ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राज्यकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा ।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित् वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(7) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(8) निर्माण कार्यो के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री/ उपकरण के क्रय की कार्यवाही हेतु समय -समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों - स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय के अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक– 2405- मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन – 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण 02- मजदूरी, 09 – विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42- अन्य व्यय,43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी- 1-348/ दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत् किये जा रहे है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या 16 /2017/ **746** (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ ।
5 - वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 16 / 2017 / 746 /सत्रह- म- 2017- 6-9(127)/ 2017

दिनांक 19 जून,2017 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

क्र0	जनपद	प्रक्षेत्र	लक्ष्य (लाखमें)	02- मजदूरी	09-विद्युत देय	39- औषधि तथा रसायन	42- अन्य व्यय	43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लडामदा	5.00	600	0	600	1185	9045	11430
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.00	240	0	240	474	3618	4572
3	आजमगढ	अजमतगढ	9.00	1080	0	1080	2133	16281	20574
4	मऊ	हाजीपुर	15.00	1800	0	1800	3555	27135	34290
5	बलिया	निधरिया एवं अवॉय	33.00	3960	19334	3960	7821	59697	94772
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	5400	16668	5400	10665	81405	119538
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	11.00	1320	10044	1320	2607	19899	35190
8	प्रतापगढ	बेलहा	20.00	2400	16488	2400	4740	36180	62208
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	5.00	600	0	600	1185	9045	11430
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	5.00	600	5748	600	1185	9045	17178
11	देवरिया	खुखुन्दू	5.00	600	0	600	1185	9045	11430
12	कुशीनगर	गंगेलवा	0.00	0	0	0	0	0	0
13	बस्ती	शकरपुर	10.00	1200	0	1200	2370	18090	22860
14	संतकबीरनगर	तामां	17.00	2040	0	2040	4029	30753	38862
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	21.00	2520	0	2520	4977	37989	48006
16	महोबा	अटकोहा	4.00	480	0	480	948	7236	9144
17	बॉदा	नहरी	5.00	600	0	600	1185	9045	11430
18	झांसी	गुरसराय	18.00	2160	0	2160	4266	32562	41148
19	जालौन	आटा	8.00	960	7896	960	1896	14472	26184
20	ललितपुर	माताटीला	17.00	2040	0	2040	4029	30753	38862
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	19.00	2280	0	2280	4503	34371	43434
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	3600	0	3600	7110	54270	68580
23	गोण्डा	पुरेतिवारी	40.00	4800	22434	4800	9480	72360	113874
24	बरेली	लांबाखेडा	0.00	0	0	0	0	0	0
25	शाहजहॉपुर	बलेली	17.00	2040	10153	2040	4029	30753	49015
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	600	0	600	1185	9045	11430
27	बागपत	सरूरपुर	10.00	1200	9328	1200	2370	18090	32188
28	लखनऊ	भैसामऊ	0.00	0	0	0	0	0	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

29	उन्नाव	नवाबगंज	28.00	3360	7497	3360	6636	50652	71505
30	सीतापुर	सुरैचा	17.00	2040	0	2040	4029	26807	34916
31	हरदोई	सण्डीला	17.00	2040	10152	2040	4029	26807	45068
32	लखीमपुर	घरथनियां	30.00	3600	23648	3600	7110	54270	92228
33	वाराणसी	दीनदासपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
34	गाजीपुर	नंदगंज	0.00	0	0	0	0	0	0
35	जौनपुर	गूजरताल	32.00	3840	12478	3840	7584	57888	85630
36	मिर्जापुर	बघौडा एवं समोग्रा	42.00	5040	15700	5040	9954	75978	111712
37	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	47.00	5336	22848	5376	11962	93247	138809
	योग		589.00	70416	210416	70416	140416	1065833	1557497

(रू0 पन्द्रह लाख सत्तावन हजार चार सौ सत्तानबे मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।